बिहार सरकार

राज्य आयुक्त नि:शक्तता (दिव्यांगजन) का कार्यालय,

पुराना सचिवालय, सिंचाई भवन परिसर, पटना।

फोन नं0-0612-2215041, email-scdisability2008@gmail.com

पत्रांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0-01/2019-...361/आ0नि0श0 दिनांक-30जुलाई'19

प्रेषक,

डॉ0 शिवाजी कुमार,
राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

सेवा में,

राज्य अन्तर्गत सभी जिलों के जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष,
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण,
बिहार।

विषय :- **दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 के प्रावधानों के अनुपालन अन्तर्गत जिले में दिव्यांगजनों के ब्यौरों का अभिलेख रखने तथा उनको जोखिम की किन्हीं स्थितियों से सूचित करने के लिए समुचित उपाय किये जाने के सम्बन्ध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 (आगे से "अधिनियम") की धारा-8 "संरक्षण और सुरक्षा" के अन्तर्गत विभिन्न आपदा स्थितियों में दिव्यांगजनों के संरक्षण एवं सुरक्षा के सम्बन्ध में प्रावधान किये गये हैं। धारा-8 (3) के अन्तर्गत निम्न प्रावधान है :- "आपदा प्रबंधन अधिनियम,2005 की धारा-25 के अधीन गठित जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जिले में दिव्यांगजनों के ब्यौरों का अभिलेख रखेगा और ऐसे व्यक्तियों को जोखिम की किन्हीं स्थितियों से सूचित करने के लिए समुचित उपाय करेगा, जिससे आपदा तैयारियों को बढ़ाया जा सके।" (धारा-8 अन्तर्गत उल्लेखित विविध प्रावधानों की विवरणी पत्र के पश्च भाग पर अंकित है।

उक्त प्रावधान के अनुपालन के सम्बन्ध में उल्लेख करना है कि प्रत्येक जिले हेतु तैयार अद्यतन मतदाता सूची, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग में संधारित नि:शक्तता पेंशन के प्राप्तकर्त्ता दिव्यांगजनों की सूची, सर्वशिक्षा अभियान के तहत जिला अन्तर्गत तैयार दिव्यांग बालक/बालिकाओं की सूची एवं राज्य आयुक्त नि:शक्तता द्वारा विविध जिलों में चलन्त न्यायालय के दौरान आगन्तुक शिकायतकर्त्ता दिव्यांगजनों की निर्मित सूची के आधार पर विविध जिलों में दिव्यांगजनों के ब्यौरों का अभिलेख तैयार किया जा सकता है। उपर्युक्त सूचियाँ क्रमश: बिहार राज्य निर्वाचन आयोग, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद तथा राज्य आयुक्त नि:शक्तता, बिहार की बेवसाईट (www.scdisabilities.org) पर उपलब्ध हैं अथवा सम्बन्धित कार्यालय से सम्पर्क कर प्राप्त की जा सकती है। इन सूचियों को आवधिक स्तर पर विशेष रूप से अल्पवयस्क दिव्यांगजनों को शामिल करने के सम्बन्ध में अद्यतन रूप से संधारित करते हुए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा सम्बन्धित जिले के लिए दिव्यांगजनों के ब्यौरों का कारगर अभिलेख तैयार किया जा सकता है, जिससे कि उक्त प्रावधान के अनुपालन अन्तर्गत आपदा तैयारियों को बढ़ाये जाने हेतु अभिलेखित दिव्यांग व्यक्तियों को जोखिम की किन्हीं स्थितियों के सम्बन्ध में सूचित किया जा सकता है।

अत: अनुरोध है कि उपर्युक्त सूचियों के आधार पर जिले में दिव्यांगजनों के ब्यौरों का अभिलेख रखने तथा अभिलेखित सूचियों को आवधिक स्तर पर अद्यतन करने और आपदा तैयारियों को बढ़ाने हेतु ऐसे व्यक्तियों को जोखिम की किन्हीं स्थितियों से सूचित करने के लिए समुचित उपाय किये जाने के साथ ही अधिनियम की धारा-8 में उल्लेखित विविध प्रावधानों के सम्यक अनुपालन के सम्बन्ध में शीघ्र आवश्यक कार्रवाई करते हुए कृत कार्रवाई से इस कार्यालय को अवगत कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन
30.07.19
राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0-01/2019-...361/आ0नि0श0 दिनांक-30जुलाई'19

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

संदर्भ :–दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016

धारा–8 " संरक्षण एवं सुरक्षा

(1) दिव्यांगजनों को जोखिम, सशस्त्र संघर्ष, मानवीय आपात स्थितियों और प्राकृतिक आपदाओं को दशाओं में समान संरक्षण और सुरक्षा प्राप्त होगी।

(2) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अपने आपदा प्रबंधन कार्यकलाप, जैसा कि आपदा प्रबंध अधिनियम, 2005 की धारा 2 के खंड (ड.) के अधीन परिभाषित है, में दिव्यांगजनों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए दिव्यांगजनों को सम्मिलित किया जाना सुनिश्चित करने के लिए समुचित उपाय करेंगे।

(3) आपदा प्रबंध अधिनियम, 2005 की धारा 25 के अधीन गठित जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जिले में दिव्यांगजनों के ब्यौरों का अभिलेख रखेगा और ऐसे व्यक्तियों को जोखिम की स्थितियों से सूचित करने के लिए समुचित उपाय करेगा जिससे आपदा तैयारियों को बढ़ाया जा सके।

(4) जोखिम, सशस्त्र संघर्ष या प्राकृतिक आपदाओं की स्थितियों के पश्चात् पुनः निर्माण कार्यकलापों में लगे हुए प्राधिकरण दिव्यांगजनों की पहुंच अपेक्षाओं के अनुसार संबंधित राज्य आयुक्त के परामर्श से ऐसे कार्यकलापों का जिम्मा लेंगे।